

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर  
पीठासीन अधिकारी सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-167/2015 रे०वाद  
अन्तर्गत धारा:- 53 आर०टी०एक्ट

अनवान  
उनवान प्रकरण

1. नन्दा पिता छोगा ब्राह्मण
2. उदा पिता छोगा ब्राह्मण  
निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. भेरूलाल पिता गोपाल ब्राह्मण मृतक के बजाय कायम मुकाम  
1/1 भाग्यवती पत्नि भेरूलाल ब्राह्मण  
1/2 कला पुत्री भेरूलाल ब्राह्मण  
1/3 बाली पुत्री भेरूलाल ब्राह्मण
2. रामचन्द्र पिता गोपाल ब्राह्मण
3. सोहनलाल पिता गोपाल ब्राह्मण  
सर्व निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. गंगादेवी पत्नि देवेन्द्र कुमावत निवासी कारोई तहसील भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23/12/2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूणास, तहसील सहाड़ा के आराजी संख्या 1615 रकबा 0.21 हे० 1616 रकबा 0.26 हे० 1617 रकबा 0.03 हे० 1620 रकबा 0.38 हे० 1621 रकबा 0.35 हे० 1622 रकबा 0.22 हे० 1623 रकबा 0.35 हे० 1624 रकबा 0.22 हे० 1625 रकबा 0.36 हे० कुल किता 09 कुल रकबा 2.36 हे० भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के राजस्व खाता संख्या 352 पर स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात का वादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 59/954 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चार का 100/954 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 4 तक अपने अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमशः.....02

लिये मैंने विश्वास कर लिया है।

ता 1 माह 12 सन्/5-

सहायक कलक्टर

मैडर

गंगापूर

सहायक कलक्टर

कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये आराजी संख्या 1617 रकबा 0.03 हे0 किस्म गेमु0 आचा को छोडते हुए शेष आराजीयात के हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 17.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 06.06.2017 को वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षो को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

—:आदेश:—

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण नन्दा उदा पिता छोगा ब्राह्मण और प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. नन्दा पिता छोगा ब्राह्मण सा.देह खातेदार।

आ0नं0	रकबा
1620/2	0.0475
1621/1	0.0800
1622/2	0.1050
1623/2	0.2975
कुल किता 4	कुल 0.5300

2. उदा पिता छोगा ब्राह्मण सा.देह खातेदार।

आ0नं0	रकबा
1620/3	0.0475
1621/2	0.2700
1622/1	0.0950
1624/1	0.0850
1623/3	0.0325
कुल किता 5	कुल 0.5300

3. गंगादेवी पत्नि देवेन्द्रसिंह कुमावत सा. कारोई खातेदार।

आ0नं0	रकबा
1616/2	0.18
1624/2	0.04
कुल किता 2	कुल 0.22

4. कमलादेवी बालीदेवी पिता भैरूलाल 131/845 रामचन्द्र 357/845 सोहनलाल 357/845 पिता गोपाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार


आ0नं0	रकबा
1615	0.21
1620/4	0.18
1624/3	0.0950
1625	0.36
कुल किता 4	कुल 0.8450

//03//

प्रकरण संख्या :-167/2015 रे0वाद  
अर्न्तगत धारा:- 53 आर0टी0एक्ट

5. शामलाती पूर्ववत बदस्तुर	
आ0नं0	रकबा
1616/3	0.0050
1623/1	0.0200
1617	0.03
कुल किता 3	कुल 0.0550

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/7/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

  
(सि0एल0 शर्मा)  
(सहायक कलेक्टर)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर  
पीठासीन अधिकारी सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-167/2015 रे.वाद  
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. नन्दा पिता छोगा ब्राह्मण
2. उदा पिता छोगा ब्राह्मण  
निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता गोपाल ब्राह्मण मृतक के बजाय कायम मुकाम  
1/1 भाग्यवती पत्नि भैरूलाल ब्राह्मण  
1/2 कला पुत्री भैरूलाल ब्राह्मण  
1/3 बाली पुत्री भैरूलाल ब्राह्मण
2. रामचन्द्र पिता गोपाल ब्राह्मण
3. सोहनलाल पिता गोपाल ब्राह्मण  
सर्व निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. गंगादेवी पत्नि देवेन्द्र कुमावत निवासी कारोई तहसील भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

दिनांक २७/७/2019

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है।  
वादीगण नन्दा उदा पिता छोगा ब्राह्मण और प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के मध्य  
संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. नन्दा पिता छोगा ब्राह्मण सा.देह खातेदार।

आ०नं०	रकबा
1620/2	0.0475
1621/1	0.0800
1622/2	0.1050
1623/2	0.2975
कुल किता 4	कुल 0.5300

2. उदा पिता छोगा ब्राह्मण सा.देह खातेदार।

आ०नं०	रकबा
1620/3	0.0475
1621/2	0.2700
1622/1	0.0950
1624/1	0.0850
1623/3	0.0325
कुल किता 5	कुल 0.5300

3. गंगादेवी पत्नि देवेन्द्रसिंह कुमावत सा. कारोई खातेदार।

आ0नं0	रकबा
1616/2	0.18
1624/2	0.04
कुल किता 2	कुल 0.22

4. कमलादेवी बालीदेवी पिता भैरूलाल 131/845 रामचन्द्र 357/845 सोहनलाल 357/845 पिता गोपाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1615	0.21
1620/4	0.18
1624/3	0.0950
1625	0.36
कुल किता 4	कुल 0.8450

5. शामलाती पूर्ववत बदस्तुर

आ0नं0	रकबा
1616/3	0.0050
1623/1	0.0200
1617	0.03
कुल किता 3	कुल 0.0550

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29 / 7 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(सी0एल0 शर्मा) अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री आज दिनांक 29 / 7 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर, भीलवाड़ा (राज0)